

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
10.03.2016 को राज्य सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 1447

नए नाभिकीय संयंत्रों का संस्थापन

1447. श्री मनसुख एल. मांडविया:

क्या प्रधान मंत्री दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं. 2032 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) विभाग द्वारा संबंधित राज्य सरकारों एवं अन्य निकायों के समन्वयन से भूमि इत्यादि से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति क्या है ताकि नए संयंत्रों के शीघ्र संस्थापन में आसानी हो सके साथ ही इस संबंध में अब तक किए गए प्रयासों की क्या उपलब्धियां रही हैं;
- (ख) क्या सरकार प्रभावित लोगों को बेहतर पुनर्वास/मुआवजा पैकेज देने पर विचार कर रही है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तावित नए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के कब तक कार्यशील होने की उम्मीद है, परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

- (क) परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के बारे में संबंधित राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय स्थापित किया गया। गोरखपुर, हरियाणा एवं जैतापुर, महाराष्ट्र में भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। अन्य स्थलों जैसे, माही बांसवाड़ा, राजस्थान एवं चुटका, मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण का कार्य अंतिम चरणों में है।
- (ख) परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आरएंडआर) पैकेज का निर्धारण, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में लागू कानून एवं नियमनों के अनुसार किया जाता है, और इसका भुगतान न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा किया जाता है।
- (ग) मौजूदा स्थापित नाभिकीय ऊर्जा क्षमता के अंतर्गत कुल 21 रिएक्टर आते हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 5780 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त, कुल 4300 मेगावाट क्षमता वाले 6 नाभिकीय विद्युत रिएक्टर कमीशनन/निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

ब्यौरा निम्नानुसार है:

परियोजना	अवस्थिति तथा राज्य	क्षमता (मेगावाट)	जिस वर्ष में पूरा होने की आशा है
केकेएनपीपी -2	कुडनकुलम, तमिलनाडु	1 X 1000	2016
केएपीपी 3 तथा 4	काकरापार, गुजरात	2 X 700	2018/19
आरएपीपी 7 तथा 8	रावतभाटा, राजस्थान	2 X 700	2018/19
प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर	कलपाक्कम, तमिलनाडु	1 X 500	2016

केकेएनपीपी: कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना

केएपीपी: काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना

आरएपीपी: राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना

पीएफबीआर: प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

उपरोक्त परियोजनाओं के प्रगामी रूप से पूरा होने पर, वर्ष 2019 तक, नाभिकीय विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता 10080 मेगावाट तक हो जाएगी। सरकार ने निम्नलिखित दो नई परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है:

परियोजना	अवस्थिति	क्षमता (मेगावाट)	पूरा होने संबंधी कार्यक्रम
कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना (केकेएनपीपी 3 तथा 4)*	कुडनकुलम, तमिलनाडु	2 x 1000	2020
गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना (जीएचएवीपी 1 तथा 2)#	गोरखपुर, हरियाणा	2 x 700	इस परियोजना को, वित्तीय वर्ष 2016-17 में पहली बार कंकरीट डालने (एफपीसी) से लेकर 6 वर्ष की अवधि में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

* वर्ष 2013 में अनुमोदित

वर्ष 2014 में अनुमोदित
